न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्णगोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 130/2019 **दायर दिनांकः 05/09/2019**

उनवान

1. भवानीशंकर उर्फ भूपेन्द्र पुत्र मांगीलाल आयु 24 वर्ष जाति मीणा निवासी बरानी तहसील बारां जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां।

प्रतिवादी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर0 टी0 एक्ट</u>

उपस्थिति :—

वादीः— विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल।

प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

आदेश दिनाक : 06/11/2019

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट. सपठीत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके माल ढोटी तहसील अटरू जिला बारां में मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 के अनुसार खाता सं0 330 की ख0नं0 302 रकबा 1.85 है0 भूमि स्थित चली आ रही है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि में वादी की आयु कम होने से व बचपन का नाम भवानीशंकर होने से खाते में भवानीशंकर नाम दर्ज करवा दिया। जबकि स्कूल प्रवेश के समय वादी के पिता मांगीलाल ने भवानीशंकर के बजाय भूपेन्द्र नाम दर्ज करवा दिया। वादी के शैक्षणिक रिकार्ड में तथा आधार कार्ड एवं वोटर आई.डी.में भूपेन्द्र नाम अंकित है लेकिन राजस्व रिकार्ड में भवानीशंकर नाम दर्ज होने से वादी को ऋण प्राप्त करने में व भूमि का विकास करने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वादी ने दिनांक 25.01.2019 को श्रीमान तहसीलदार साहब से शैक्षणिक रिकार्ड एवं वोटर आई.डी. व आधार कार्ड के आधार पर वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि में वादी का नाम दुरूस्त करने के लिये निवेदन किया तो श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू ने सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्यवाही करने की हिदायत दी। बिना सहायता न्यायालय वादी अपना कार्य करवाने में असमर्थ होने से वादी वाद पत्र की मद नं0 1 मूं

वर्णित भूमि में नाम दुरूस्त करवाकर भवानीशंकर के स्थान पर भूपेन्द्र दर्ज करवाने की घोषणा करवाने का अधिकारी है। तथा इस आशय का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में करवाने का अधिकारी है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से इस वाद में आवश्यक पक्षकार होने से उसे प्रतिवादी बनाया गया है। राजस्थान सरकार को धारा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेकिन मामला आवश्यक प्रकृति का होने से 80 (2) सी0पी0सी0 का पृथक से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय की इजाजत से वाद पेश है। वाद कारण दिनांक 25.01.2019 को श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करने से मना करने पर बमुकाम उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी ग्राम व माल ढोटी तहसील अटरू जिला बारां में स्थित होने से माननीय न्यायालय को इस वाद को सुनने का क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परीशिष्ठ के अनुसार उचित न्याय शुल्क पर पेश है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की डिक्री पारित की जावें कि:–

(अ) वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि मे वादी का नाम दुरूस्त किया जाकर भवानीशंकर के स्थान पर भूपेन्द्र किये जाने की घोषणा की जावें। विकल्प में भवानीशंकर उर्फ भूपेन्द्र किया जावें।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे प्रदान की जावें।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाके माल ढोटी तहसील अटरू की भूमि खाता संख्या 330 की ख0नं0 302 रकबा 1.85 है0, के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम भवानीशंकर के स्थान पर भूपेन्द्र दर्ज किए जाने की कृपा करें एवं श्रीमान तहसीलदार साहब को रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम भूपेन्द्र दर्ज करने हेतु आदेश पारित करने की कृपा करें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी जर्ये की गई, प्रतिवादी द्वारा जवाब में मुताबिक साक्ष्य अंक तालिक, पहचान पत्र आधार कार्ड,पहचान पत्र निर्वाचन, भामाशाह कार्ड के आधार पर राजस्व रिपोर्ट में भवानीशंकर के स्थान पर भूपेन्द्र किये जाने में सरकार को कोई आपत्ति नही है। अभिभाषक प्रार्थी को सुना आराजी ग्राम ढोटी की

खाता संख्या 330 की ख0नं0 302 रकबा 1.85 है0 राजस्व रिकार्ड मे वादी का नाम भवानीशंकर के स्थान पर भूपेन्द दर्ज किया जावें। तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया वादी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड परिवार राशन कार्ड, पहचान पत्र (निर्वाचन) भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र, शिक्षा प्रमाण पत्र आदि में वादी का नाम भूपेन्द्र दर्ज है।

अतः रिकार्ड साक्ष्य के आधार पर वादी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम मोठपुर की खाता संख्या 330 की ख0नं0 302 रकबा 1.85 है0, में सहखातेदार भवानीशंकर के स्थान पर भूपेन्द दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है, कि राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री कृष्ण गोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 130/2019

उनवान

1. भवानीशंकर उर्फ भूपेन्द्र पुत्र मांगीलाल आयु 24 वर्ष जाति मीणा निवासी बरानी तहसील बारां जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां।

प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर0 टी0 एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................. रूबरू...............X..............................
बहाजिर :–
वादीः– विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल।
प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।
मिनजानित मुदई रूबरू ....X..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम मोठपुर की खाता संख्या 330 की ख0नं0 302 रकबा 1.85 है0, में सहखातेदार भवानीशंकर के स्थान पर भूपेन्द दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है, कि राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार अमल दरामद करें।

(कृष्ण गोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X......................... .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 06.11.2019 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2019.12.10 17:26:06 IST
Reason: SelfAttested
Location: